बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संचिका सं० -- मं०मं०-01/आर०-11/2009.......968 पटना-15, दिनांक...........11....जून, 2009

संकल्प

विषय – मुख्यमंत्री के परामर्शी के पद तथा उनके सहायतार्थ कार्यालीय पदों के सृजन की स्वीकृति।

01. मुख्यमंत्री को परामर्श देने के प्रयोजनार्थ मुख्यमंत्री के परामर्शी की नियुक्ति का प्रावधान बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम-32 (क) में किया गया है। कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री के परामर्शियों की नियुक्ति की शक्ति माननीय मुख्यमंत्री को प्रदत्त है। वांछित संख्या में परामर्शियों के पदों पर मुख्यमंत्री अपने विवेकानुसार सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्त कर सकेंगे।

02. परामर्शी की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जा सकेगी और तदनुसार नियुक्ति की अवधि के लिए परामर्शी का पद सृजित हो जाएगा।

03. प्रत्येक परामर्शी की नियुक्ति के साथ ही उनके सहायतार्थ निम्नांकित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद भी सृजित होंगे।

क्र0	*पदनाम*	*पदों की संख्या*	*वेतनमान*	*अभ्युक्ति*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक	1	14300–18300/– 12000–16500/– 10000–15200/–	बि०प्र०सें० या अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन।
2	आशुलिपिक/निजी सहायक	2	4000–6000/– 5500–9000/–	सचिवालय संवर्ग से।
3	वाहन चालक	2	संविदा पर 6000/– प्रतिमाह	---
4	आदेशपाल	3	संविदा पर 5000/– प्रतिमाह	---
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	बेल्ट्रॉन से 5700/– प्रतिमाह	बेल्ट्रॉन के लिए स्वीकृत दर पर।

प्रत्येक परामर्शी की नियुक्ति के पश्चात् उपर्युक्त संख्या में पद सृजन का आदेश निर्गत किया जाएगा। उपर्युक्त सभी पद परामर्शी के कार्यकाल के लिए ही सृजित रहेंगे और उनके पदत्याग के साथ ही पद समाप्त हो जायेंगे।

04. परामर्शी एवं उनके सहायतार्थ सृजित पदधारकों के वेतन एवं भत्तों का व्यय, मांग संख्या-04 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-090-सचिवालय-0024-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

05. प्रत्येक परामर्शी तथा उनके सहायतार्थ पदाधिकारियों के लिए एक ए०सी० एम्बेसडर कार और एक नन ए०सी० एम्बेसडर कार की सुविधा दी जाएगी।

06. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–2801, दिनांक–09.06.2009 द्वारा मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ उपस्थापित संलेख में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

07. मुख्यमंत्री के परामर्शी के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण की स्वीकृति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–2805, दिनांक–10.06.2009 द्वारा दी जा चुकी है।

आदेश – अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/06/09

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/आर०–11/2009...968...पटना–15, दिनांक...11...जून, 2009

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायें।

11/06/09

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/आर०–11/2009...968...पटना–15, दिनांक...11...जून, 2009

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिपार्ड, वाल्मी काम्पलेक्स, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/06/09

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव